International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 12, December- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

हिन्दी का इतिहास

डॉ शशि किरण
एसोशिएट प्रोफेसर इतिहास
चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय
फ़तेहपुर पुंडरी, कैथल हरियाणा

भाषा मनुष्य- मनुष्य के बीच भाव-विचार-विनय का सर्वश्रेस्ठ साधन है| हिंदी भाषा कुछ बोलियां का मिश्रण है जैसे कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, अवधि, मारवाड़ी ,भोजपुरी, मैथिली ,गढ़वाली आदि "भाषा और बोली में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती" **(परमार, 2009)** l जहां तक हिंदी भाषा की बात करते है तो यह वह मानक भाषा है जो संविधान के द्वारा स्वीकृत है l यह ज्यादा पुरानी भी नहीं हैl भाषा का स्वरूप कभी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता हैl भाषा एक जल प्रवाह की तरह होती हैl जैसे पानी खड़ा हो तो वह सड़ जाता है l उसी तरह यदि भाषा का स्वरूप नहीं बदलता तो वह नष्ट हो जाती है l लेकिन यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या परिवर्तन करना चाहते हैं और किस तरह से उसमें परिवर्तन करते हैं l भारत मे प्राचीनकाल से ही पहले संस्कृत भाषा प्रचलन में थी उसके बाद पाली, पाली प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अवहट्ठ से होते हुए अंत में हिंदी बनी l अतः संस्कृत से हिंदी तक का हिन्दी भाषा का स्वरूप भी बदलता रहा है lआज के युग में चाहे कितना भी बड़ा हिंदी का पक्षधर हो लेकिन कोई ही विरला व्यक्ति होगा जो केवल हिंदी के शब्दों का प्रयोग बोलने में करता होगा l हजारो ऐसे शब्द हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं जिनका शायद हिंदी अनुवाद आज तक हमारे पास नहीं है जैसे बर्फी ,जलेबी, समोसा, क्रिकेट आदि l दिन प्रतिदिन हिन्दी में दूसरी अन्य भाषाओ के शब्दों का प्रचलन बढ़ रहा है। अरबी ,फारसी ,उर्दू ,अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं

के शब्द हम हिन्दी भाषा में प्रयोग करते आ रहे है। भाषा हमेशा जीवंत होती है l प्राकृत और पाली की उत्पत्ति संस्कृत से हुई थी। प्राकृत भारत की प्राचीनतम जन भाषा कही जाती है तो पाली प्रथम देश भाषा और वही अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाती है l यही कारण है हम इसे एक संधिकालीन भाषा कहते हैं l अवहट्ठ अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप कहा जाता है l हिंदी के नामकरण की जब हम बात करें तो पांचवी तथा छठीं शताब्दी में अरब और फारस के लोग भारत देश को हिंदी कहते थे और यहां की सभी भाषाओं को जुबाने -हिंद और हिंदवी के नाम से पुकारते थे l उसी समयावधि मे हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग शुरू हुआ था लेकिन वे संस्कृत, पाली, अपभ्रंश आदि सभी को इसमें शामिल करते थे l उदाहरण के तौर पर ईरान के बादशाह नो शेरवां के दरबारी कवि ने पंचतंत्र का अनुवाद करते हुए इसे जबाने-हिंदी का ग्रंथ कहा था जबकि वास्तविक रूप से यह संस्कृत का ग्रंथ था l नागरी लिपि के आठवी-नोवी शताब्दी के रूप को 'प्राचीन नागरी' का नाम दिया गया था। इस लिपि को 'देव नगरी' का नाम भी दिया गया है। दक्षिण भारत के विजय नगर के राजाओ के दान पत्रो पीआर लिखी गई नगरी लिपि का नाम 'नदीनागरी' दिया गया है। इसी तरह अलबरूनी ने 11वीं शताब्दी में, फारसी कवि औफ़ी ने 13वीं शताब्दी में और अमीर खुसरो ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में हिंदी शब्द का प्रयोग भारत की सभी भाषाओं के लिए किया था l अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी का प्रयोग भारत की किसी एक विशेष भाषा के लिए नहीं बल्कि सामान्य रूप से उत्तरी भारत की सभी सामान्य भाषाओं के लिए किया था l बृजेश्वर वर्मा के शब्दों में 'हिंदी ' एक सामूहिक नाम था l 14 वी और 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में विभिन्न नई भाषाओं का उदय और विकास हुआ। उन्हें प्रांतीय आधार पर नए-नए नाम भी दिए गए l लेकिन सामान्य रूप से भारतीय भाषाओं के लिए हिंदी , हिंदवी और हिंदुस्तानी शब्दों का ही प्रयोग किया जाता था l जबकि कवि जायसी ने केवल हिंदी का ही प्रयोग किया था l फिर उसके बाद से ही प्रांतीय भाषाओं को अलग-अलग प्रांतीय नामो से पुकारा जाने

लगा था l अतः किसी भी राष्ट्र की तरह भाषा की भी सीमा नहीं होती। हिंदी को विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिना जा सकता है। हिन्दी भाषा एक है लेकिन यह विभिन्न बोलियां का समूह है l भारत एक बहुभाषी देश है. यहां 1652 भाषाये और साक्रिया बोलिया है। इन में से एक सो से अधिक सकारात्मक भाषा है।देश के दुरासाथ आंचल तक यह अपना प्राग -केसर बिखर रही है।

19वीं शताब्दी में अंग्रेज और मुस्लिम लेखक ने भी हिंदवी, हिंदी, हिंदुस्तानी आदि नामो का प्रयोग किया था l जैसे नूर मोहम्मद ने 18वीं शताब्दी में अवधी भाषा के लिए तथा इंशा अल्लाहखान ने19 में शताब्दी में ब्रज मिश्रित खड़ी बोली के लिए तथा अनेक अंग्रेज लेखकों ने खड़ी बोली के लिए हिंदी तथा हिंदुस्तानी नाम का ही प्रयोग किया था l आज हिंदी राष्ट्र की एक ऐसी सामान्य भाषा बन चुकी है जोकि विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों मे बोली जाती है और यह विभिन्न रूपों में पाई जाती है l कुछ भाषाए ऐसी है जोकि अन्य लिपियों में बंध कर सीमित हो गई है l वही कुछ भाषाएँ जैसे राजस्थानी , ब्रज ,अवधि ,खड़ी बोली आदि हिंदी के अंतर्गत ही गिनी जा सकती हैं l अतः आज हिंदी की पहचान केंद्रीय और राष्ट्रीय भाषा के रूप में बन चुकी है l "राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी का विकास मुस्लिम शासन काल से आरंभ हो चुका है। जिसे 19वीं शताब्दी तक आते-आते साहित्यक, राजनीति और आर्थिक कारणों से खड़ी बोली के रूप में एक मानक स्वरूप प्राप्त हुआ" **(भट्ट, 2003)** । इसी खड़ी बोली को हम्म हिंदी का राष्ट्रभाषा का रूप स्वीकार किया जाता है। इसका संबंध अनेक भाषाओं जैसे गुजराती, राजस्थानी ,अवधि, आसामी, बांग्ला आदि से होने के कारण यह एक भाषा नहीं रही बल्कि अनेक भाषाओं का समूह बन चुकी है l

तीन तत्व अर्थात लिपि, भौगोलिक एकता और सांस्कृतिक एकता जो कि विभिन्न भाषाओं को हिंदी से बांधे हुए हैं। हिंदी से संबंधित सभी भाषाओं की सामान्य लिपि के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। सभी भाषाएं जो हिंदी से संबंधित है वह अधिकतर

भारत के केंद्रीय भू-भाग में प्रचलित भाषाएं हैं। लेकिन फिर भी केंद्रीय भू भाग में बोली जाने वाली बोलियो का स्वरूप एक जैसा नहीं है यहां तक की आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने हिंदी की परिभाषा भी भौगोलिक आधार पर की है। यदि हम दार्शनिक दृष्टिकोण, पारंपरिक मान्यताओं और धार्मिक विश्वास की दृष्टि से देखे तो ये सब भाषाएं एक जैसी है और यहां तक कि उनको प्रयोग करने वालों में भी अनेक तरह की समानताएं पाई जाती है। यह हिंदी भाषा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के रूप, शैली आदि को अपने में आत्मसार कर के उनके अनेक शब्दों को ग्रहण कर के अपना रूप निरन्तर निखार रही है। यह सार्वदेशिक रूप को भी ग्रहण कर रही है। भारत में प्राचीन काल से ही अनेक भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां प्रचलित रही है लेकिन फिर भी प्राचीनकाल से एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसको विभिनता में एकता होती हुए भी भारत में हिंदी भाषा ने पूर्ण किया है। केंद्र की एक राजभाषा होने से ही भारत की राष्ट्रीयता की पहचान होती है। यही कारण है कि अनेक राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी हिंदी भाषा को संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए थे । तभी 14 सितंबर 1949 के संविधान सभा ने यह स्वीकार किया कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको पूरे देश में समझा जा सकता है। भारत में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू करने के साथ ही अनुच्छेद 343 (1) में यह प्रावधान किया कि भारत में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी भाषा को संघ की आधिकारिक भाषा स्वीकार कर लिया गया और आज तक भारत सभी सरकारे भी हिंदी के विकास का निरंतर प्रयास करती आ रही है। भारत में प्राचीन काल से ही संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी अतः हिंदी ने उसे पूर्ण किया है। “हिंदी और इसकी बोलिया उत्तर भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में बोलती है।

इसली भारत सरकार ने तेरह 13 हिंद- आर्यभाषाओ (संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, बांग्ला, उदिया, आसिया, नेपाली, कश्मीरी, उर्दू, सिंधी) चार द्रविड़ भाषाएं (तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम), और एक तिब्बत-चीनी परिवार की भाषा (मणिपुरी) को संविधान के 8 वे अनुछेद के अंतरगत अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है **(भट्ट, 2003).**

संदर्भ सूची:

- भट्ट, राजनाथ /भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, : निर्मल पब्लिशिंग हाउस, कुरूक्षेत्र, 2014|
- भट्ट, राजनाथ /भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा : निर्मल पब्लिशिंग हाउस, कुरूक्षेत्र, 2003।
- परमार, वीरेन्द्र/राजभाषा चर्चा: उपन्यास प्रकाशन, न्यू दिल्ली, 2009।
- शर्मा, शशि: अगय और मुक्तिबोध के संदरभ मे : समकालीन हिन्दी कविता / वाणी प्रकाशन, न्यू दिल्ली,1995।
- ताज, फरहानाहिन्दी साहित्य सदन : हिन्दी साहित्य का गौरव शाली इतिहास /,।2005
- चौधरी, विद्याचौधरी प्रकाशन : हिन्दी आत्मकथा को बच्चन की साहितियक देन /,1990।